

**“प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू  
[नियम 90(5) देखिए ]  
प्रतिदाय आवेदन की वापसी हेतु आवेदन**

1. एआरएन :
2. माल और सेवा कर पहचान सं. :
3. कारबार का नाम (विधिक) :
4. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
5. कर अवधि :
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :
7. प्रतिदाय दावा वापस लेने के लिए आधार :
  - i प्रतिदाय आवेदन गलती से फाइल किया गया है
  - ii प्रतिदाय आवेदन गलत प्रवर्ग के अधीन फाइल किया गया है
  - iii प्रतिदाय आवेदन में गलत ब्यौरे उल्लिखित हैं
  - iv अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. मैं/हम (आयकरदाता का नाम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं और यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

प्रास्थिति : ” ।